

ग्रामीण विकास मंत्रालय

मांग संख्या 82

ग्रामीण विकास विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	178596.81	...	178596.81	183393.17	5.25	183398.42	184611.76	5.25	184617.01	191770.34	100.00	191870.34
वसूलियां	-70037.18	...	-70037.18	-70994.50	...	-70994.50	-72213.09	...	-72213.09	-74223.15	...	-74223.15
प्राप्तियां
निवल	108559.63	...	108559.63	112398.67	5.25	112403.92	112398.67	5.25	112403.92	117547.19	100.00	117647.19
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	41.15	...	41.15	44.57	...	44.57	45.71	...	45.71	47.57	...	47.57
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
2. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रबंधन सहायता एवं जिला आयोजना प्रक्रिया का सुदृढीकरण	224.79	...	224.79	254.40	...	254.40	254.40	...	254.40	350.62	...	350.62
3. लोक कार्य एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपाट) के लिए अनुदान	8.19	...	8.19	24.00	...	24.00	17.60	...	17.60	24.00	...	24.00
4. सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना सर्वेक्षण	72.16	...	72.16	75.70	...	75.70	386.95	...	386.95	1.00	...	1.00
5. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान	50.00	...	50.00	75.00	...	75.00	75.00	...	75.00	100.00	...	100.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	355.14	...	355.14	429.10	...	429.10	733.95	...	733.95	475.62	...	475.62
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
अन्य												
6. ग्रामीण विकास भवन	5.25	5.25	...	5.25	5.25	...	100.00	100.00
7. व्यय कटौती में समायोजित वसूलियां	-11.78	...	-11.78
जोड़-अन्य	-11.78	...	-11.78	...	5.25	5.25	...	5.25	5.25	...	100.00	100.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	-11.78	...	-11.78	...	5.25	5.25	...	5.25	5.25	...	100.00	100.00
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं												
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
8. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्थाएं पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस)	6110.43	...	6110.43	6564.58	...	6564.58	5972.22	...	5972.22	6259.08	...	6259.08
9. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	530.40	...	530.40	772.23	...	772.23	675.15	...	675.15	672.69	...	672.69
10. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यू पीएस)	1816.97	...	1816.97	2255.96	...	2255.96	1967.34	...	1967.34	1938.79	...	1938.79
11. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस)	221.36	...	221.36	277.15	...	277.15	259.23	...	259.23	247.37	...	247.37
12. अन्नपूर्णा योजना	77.82	...	77.82	12.19	...	12.19	62.85	...	62.85
13. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (प्रशासनिक व्यय)	15.06	...	15.06	27.26	...	27.26	14.26	...	14.26	19.22	...	19.22
जोड़-राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	8694.22	...	8694.22	9975.00	...	9975.00	8900.39	...	8900.39	9200.00	...	9200.00
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम												
14. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि से प्राप्त की गई राशि	55166.75	...	55166.75	55000.00	...	55000.00	61084.09	...	61084.09	60000.00	...	60000.00
15. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबिन मिशन	55166.06	...	55166.06	55000.00	...	55000.00	61084.09	...	61084.09	60000.00	...	60000.00
16. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि को अंतरण	-55166.77	...	-55166.77	-55000.00	...	-55000.00	-61084.09	...	-61084.09	-60000.00	...	-60000.00
जोड़-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम	55166.04	...	55166.04	55000.00	...	55000.00	61084.09	...	61084.09	60000.00	...	60000.00
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना												
17. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना												
17.01 केन्द्रीय सड़क निधि को अंतरण	14858.63	...	14858.63	15994.50	...	15994.50	11129.00	...	11129.00	14223.15	...	14223.15
17.02 कार्यक्रम घटक	13689.56	...	13689.56	11412.70	...	11412.70	11162.70	...	11162.70	11685.30	...	11685.30
17.03 ईएपी घटक	2003.50	...	2003.50	3005.50	...	3005.50	3005.50	...	3005.50	3031.70	...	3031.70
17.04 पूर्वोत्तर क्षेत्र	1700.00	...	1700.00	1250.00	...	1250.00	1700.00	...	1700.00
17.05 वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों के लिए परियोजना	1169.06	...	1169.06	2881.80	...	2881.80	81.80	...	81.80	2583.00	...	2583.00
17.06 केन्द्रीय सड़क निधि से प्राप्त की गई धनराशि	-14858.63	...	-14858.63	-15994.50	...	-15994.50	-11129.00	...	-11129.00	-14223.15	...	-14223.15
<i>निवल</i>	<i>16862.12</i>	...	<i>16862.12</i>	<i>19000.00</i>	...	<i>19000.00</i>	<i>15500.00</i>	...	<i>15500.00</i>	<i>19000.00</i>	...	<i>19000.00</i>
राष्ट्रीय आजीविका मिशन-आजीविका												
18. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन												
18.01 कार्यक्रम घटक	3840.29	...	3840.29	5139.00	...	5139.00	5200.50	...	5200.50	8107.00	...	8107.00
18.02 ईएपी घटक	486.91	...	486.91	36.00	...	36.00	5.00	...	5.00	16.00	...	16.00
18.03 पूर्वोत्तर क्षेत्र	575.00	...	575.00	578.00	...	578.00	901.00	...	901.00
जोड़- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	4327.20	...	4327.20	5750.00	...	5750.00	5783.50	...	5783.50	9024.00	...	9024.00
श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबिन मिशन												
19. कार्यक्रम घटक	553.25	...	553.25	1200.00	...	1200.00	451.03	...	451.03	800.00	...	800.00
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)												
20. प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) ग्रामीण												
20.01 कार्यक्रम घटक	22572.29	...	22572.29	20616.00	...	20616.00	18516.00	...	18516.00	16116.00	...	16116.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
20.02 ब्याज सस्मिडी	384.00	...	384.00	384.00	...	384.00	384.00	...	384.00
20.03 नावार्ड से प्राप्त ऋण पर ब्याज	1000.00	...	1000.00	2500.00	...	2500.00
जोड़- प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) ग्रामीण	22572.29	...	22572.29	21000.00	...	21000.00	19900.00	...	19900.00	19000.00	...	19000.00
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	108175.12	...	108175.12	111925.00	...	111925.00	111619.01	...	111619.01	117024.00	...	117024.00
कुल जोड़	108559.63	...	108559.63	112398.67	5.25	112403.92	112398.67	5.25	112403.92	117547.19	100.00	117647.19
ख. विकासात्मक शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	5.25	5.25	...	5.25	5.25	...	100.00	100.00
जोड़-सामान्य सेवाएं	5.25	5.25	...	5.25	5.25	...	100.00	100.00
सामाजिक सेवाएं												
2. आवास	16.60	...	16.60	1635.00	...	1635.00	1635.00	...	1635.00	3005.00	...	3005.00
3. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	15.06	...	15.06	32.60	...	32.60	14.26	...	14.26	24.56	...	24.56
जोड़-सामाजिक सेवाएं	31.66	...	31.66	1667.60	...	1667.60	1649.26	...	1649.26	3029.56	...	3029.56
आर्थिक सेवाएं												
4. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	754.65	...	754.65	1339.00	...	1339.00	1463.10	...	1463.10	2531.10	...	2531.10
5. ग्रामीण रोजगार	55166.04	...	55166.04	55000.00	...	55000.00	61084.09	...	61084.09	60000.00	...	60000.00
6. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	365.21	...	365.21	559.60	...	559.60	737.72	...	737.72	558.79	...	558.79
7. सड़क और पुल	14862.12	...	14862.12	16000.00	...	16000.00	48.01	...	48.01	79.21	...	79.21
8. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	41.15	...	41.15	44.57	...	44.57	45.71	...	45.71	47.57	...	47.57
जोड़-आर्थिक सेवाएं	71189.17	...	71189.17	72943.17	...	72943.17	63378.63	...	63378.63	63216.67	...	63216.67
अन्य												
9. पूर्वोत्तर क्षेत्र	5481.28	...	5481.28	3270.96	...	3270.96	5501.35	...	5501.35
10. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	37261.81	...	37261.81	32192.22	...	32192.22	44015.48	...	44015.48	45684.16	...	45684.16
11. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	76.99	...	76.99	114.40	...	114.40	84.34	...	84.34	115.45	...	115.45
जोड़-अन्य	37338.80	...	37338.80	37787.90	...	37787.90	47370.78	...	47370.78	51300.96	...	51300.96
कुल जोड़	108559.63	...	108559.63	112398.67	5.25	112403.92	112398.67	5.25	112403.92	117547.19	100.00	117647.19

(₹ करोड़)

	बजट 2019-2020			बजट 2018-2019			बजट 2017-2018			बजट 2016-2017		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												

	बजट सहायता			आं. ब. बा. सं.			जोड़			(₹ करोड़)		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
एचआईएल भारत लिमिटेड												
1. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	...	7329.43	7329.43	14645.57	14645.57	...	26170.00	26170.00
जोड़-एचआईएल भारत लिमिटेड	...	7329.43	7329.43	14645.57	14645.57	...	26170.00	26170.00
जोड़	...	7329.43	7329.43	14645.57	14645.57	...	26170.00	26170.00

- सचिवालय:** यह प्रावधान ग्रामीण विकास विभाग के सचिवालय संबंधी व्यय के लिए है।
- ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रबंधन सहायता एवं जिला आयोजना प्रक्रिया का सुदृढीकरण:** इसमें ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए प्रबंधन सहायता और प्रशिक्षण संबंधी कार्यकलापों, जागरूकता सृजन (आईईसी), निगरानी तंत्र के सुदृढीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संबंधी प्रावधानों को शामिल किया गया है।
- लोक कार्य एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपाटी) के लिए अनुदान:** कपाटी का उद्देश्य विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में गैर-सरकारी स्वयंसेवी संगठनों और आवश्यकता आधारित अभिनव परियोजनाओं के माध्यम से लोगों को शामिल करना है।
- सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना सर्वेक्षण:** यह प्रावधान अभावग्रस्त जीवन बसर करने वाले उन ग्रामीण परिवारों के निर्धारण के लिए एसईसीसी जनगणना कराने के लिए है, जिन्हें मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत लक्षित किया जा सकता है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान:** राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान भारत में ग्रामीण विकास में प्रशिक्षण और शोध के लिए एक शीर्षस्थ संस्थान है। एनआईआरडी का मुख्य सरोकार विकासात्मक मुद्दों के संबंध में कार्यक्रम चलाने के अलावा ग्रामीण विकास और पंचायती राज कार्यकर्ताओं के लिए निगरानी और आंतरिक लेखा परीक्षा में क्षमता निर्माण करना है।
- ग्रामीण विकास भवन:** कार्यालय का निर्माण करने के लिए ग्रामीण विकास भवन हेतु प्रावधान किया गया है।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्थाएं पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस):** इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के व्यक्ति को सहायता दी जाती है। 60-79 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को प्रति माह ₹ 200 रुपए तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को प्रति माह ₹ 500 रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाती है।
- राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना:** इस योजना के तहत बीपीएल परिवार के 18-59 वर्ष की आयु के मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु हो जाने पर परिवार एकमुश्त सहायता प्राप्त करने का हकदार है। सहायता की राशि 20,000 रु. है।

10. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यू पीएस):** इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले 40-79 वर्ष की आयु की विधवाओं को प्रति माह 300 रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाती है। 80 वर्ष की आयु हो जाने पर लाभार्थियों को आईजीएनओएपीएस में शामिल कर लिया जाता है, ताकि वे प्रति माह 500 रुपए पेंशन सहायता प्राप्त कर सकें।

11. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस):** इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निश्चिन्ता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) : इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले 18-79 वर्ष की आयु के गंभीर या विविध प्रकार की निश्चिन्ताओं से प्रभावित व्यक्तियों को प्रति माह 300 रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाती है। 80 वर्ष की आयु हो जाने पर लाभार्थियों को आईजीएनओएपीएस में शामिल कर लिया जाता है, ताकि वे प्रति माह 500 रुपए पेंशन सहायता प्राप्त कर सकें।

12. **अन्नपूर्णा योजना:** इस योजना के तहत ऐसे लाभार्थियों, जो आईजीएनओएपीएस के तहत पात्र तो हैं, किन्तु आईजीएनओएपीएस के तहत वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उन वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिमाह 10 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त दिया जाता है।

13. **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (प्रशासनिक व्यय):** वृद्ध व्यक्तियों, विधवाओं, निश्चिन्त व्यक्तियों और आय अर्जनकर्ता की मृत्यु के मामले में गरीब परिवारों के लिए एनएसएपी एक सामाजिक सहायता कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य राज्यों द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे अथवा भविष्य में उपलब्ध कराए जाने वाले लाभों के न्यूनतम राष्ट्रीय मानकों को सुनिश्चित करना है।

15. **श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबिन मिशन:** महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) अधिनियम का उद्देश्य अकुशल मजदूरी कार्य करने को इच्छुक वयस्क सदस्यों वाले प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। अब देश के सभी ग्रामीण जिले इस अधिनियम में शामिल हैं। इस योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- मांग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 100 दिनों का अकुशल मजदूरी कार्य उपलब्ध कराकर निर्धारित गुणवत्ता और टिकाऊ स्वरूप की उपयोगी परिसंपत्तियों का सृजन करना; गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को मजबूती प्रदान करना; सक्रियतापूर्वक सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना; और पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को मजबूत बनाना।

17.02. **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना:** 25 दिसंबर, 2000 को शुरू की गई प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी पात्र सड़क संपर्कविहीन बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है। केंद्र और राज्यों के बीच पीएमजीएसवाई के वित्तपोषण में भागीदारी का अनुपात सभी राज्यों के लिए 60:40 रहा है लेकिन 8 पूर्वोत्तर राज्यों तथा 3 हिमालयी राज्यों (जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड) के लिए यह अनुपात 90:10 है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 9 राज्यों के 44 सर्वाधिक प्रभावित जिलों में बारहमासी सड़कों के निर्माण के लिए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्कता परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूई) को भी पीएमजीएसवाई के अंतर्गत एक अलग घटक के रूप में शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य 11,725 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से 5,41,81 किमी. लंबी सड़कों और 126 पुलों/सीडी कार्यों का निर्माण करना है।

17.05. **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना:** वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 9 राज्यों के 44 सर्वाधिक प्रभावित जिलों में बारहमासी सड़कों के निर्माण के लिए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्कता परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूई) को भी पीएमजीएसवाई के अंतर्गत एक अलग घटक के रूप में शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य 11,725 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से 5,41,81 किमी. लंबी सड़कों और 126 पुलों/सीडी कार्यों का निर्माण करना है।

18.01. **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन:** दीनदीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के रूप में पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरूआत जून 2011 में की गई है। डीएवाई-एनआरएलएम का उद्देश्य ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करना है और उन्हें तब तक निरंतर सहायता प्रदान करना है, जब तक कि वे एक समयावधि में अपनी आय में पर्याप्त वृद्धि नहीं कर लेती हैं और अपने जीवन स्तर में सुधार करके घोर गरीबी से उबर नहीं आती हैं। डीएवाई-एनआरएलएम का उद्देश्य 10 वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से लगभग सभी 8.0 से 10.0 करोड़ ग्रामीण गरीब महिलाओं को लाभान्वित करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) और उनके संघों को अपने आजीविका कार्यक्रमलाप शुरू करने के लिए मुख्यतः सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) और परिक्रामी निधि (आरएफ) के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। डीएवाई-एनआरएलएम में प्रति वर्ष 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर बैंकों से अधिकतम 3.00 लाख रु. के ऋण प्राप्त करने के लिए महिला स्व-सहायता समूहों को ब्याज सब्सिडी देने का प्रावधान भी है। चुनिंदा 250 पिछड़े जिलों में यदि ऋण समय से चुका दिया जाता है तो अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी भी दी जाती है, जिससे ब्याज दर केवल 4 प्रतिशत रह जाती है।

महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी) डीएवाई-एनआरएलएम का एक घटक है। इसमें कृषि पर निर्भर गरीबों की मौजूदा आजीविकाओं और कृषि में महिलाओं की भागीदारी तथा उत्पादकता को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है।

स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसबीईपी) स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) और उनके परिवार के सदस्यों को गैर-कृषि क्षेत्र में लघु उद्यम शुरू करने में सहायता प्रदान करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्यमों की सहायता के लिए अनुकूल माहौल तैयार करके इस कार्य को किया जाता है। इस कार्यक्रम को फिलहाल 23 राज्यों के 153 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया जा रहा है जिसका उद्देश्य परियोजना अवधि के दौरान लगभग 20000 उद्यमों में सहायता प्रदान करना है।

ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) देश के प्रत्येक जिले में स्थापित किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य लघु उद्यमों की स्थापना करने के लिए गरीब परिवारों के ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना है।

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) एनआरएलएम के अंतर्गत ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए रोजगार से संबद्ध कौशल विकास योजना है। यह योजना कौशल विकास योजनाओं संबंधी सामान्य मानकों के अनुरूप बनाई गई है।

इसके अतिरिक्त, जम्मू और कश्मीर में युवाओं के कौशल विकास के लिए हिमायत कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राज्य के लिए प्रधान मंत्री विकास पैकेज के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में एक लाख युवाओं के कौशल विकास का लक्ष्य आबंटित किया है। देश के सभी राज्यों में डीडीयू-जीकेवाई के लागू होने के बावजूद, डीडीयू-जीकेवाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में व्यापक जागरूकता एवं मांग के परिणामस्वरूप राज्यों की अगुवाई में डीडीयू-जीकेवाई का कार्यान्वयन 28 राज्यों में किया गया है।

कार्यक्रम घटक: श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में समेकित परियोजना के आधार पर अवसंरचनाएं उपलब्ध कराना तथा आर्थिक कार्यकलापों एवं कौशल का विकास करना है। इस मिशन में इस विजन का अनुपालन किया जाता है अर्थात् "अनिवार्य रूप से शहरी मानी जाने वाली सुविधाओं से समझौता किए बिना समता और समावेशन पर जोर देते हुए ग्रामीण जनजीवन के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए गांवों के क्लस्टर को 'रूबन गांवों' के रूप में विकसित करना है।" इस मिशन का उद्देश्यप स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना, आधारभूत सेवाओं में वृद्धि करना और सुनियोजित रूबन क्लस्टरों का सृजन करना है।

परियोजना घटकों के कार्यान्वयन में समेकन और तालमेल के माध्यम से 5 वर्षों की निर्धारित समय सीमा में यह परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। इसके बाद 10 वर्षों की संचालन एवं रख-रखाव अवधि होगी। इस परियोजना को मिशन के अंतर्गत वित्तपोषण की एक इकाई के रूप में माना जाएगा। परियोजना के लिए निधियां विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र, केंद्रीय प्रायोजित और राज्य योजनाओं में तालमेल के माध्यम से जुटाई जाएंगी। विभिन्न योजनाओं में तालमेल के माध्यम से जुटाई गई निधियों को पूरक बनाने के लिए यह मिशन इस परियोजना के लिए आवश्यक पूरक वित्तपोषण (सीजीएफ) प्रदान करेगा। लक्षित 300 क्लस्टरों में से, 29 राज्यों और 6 सं.रा. क्षेत्रों में 295 क्लस्टरों का निर्धारण करके उन्हें अनुमोदन प्रदान किया गया है।

20. **प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) ग्रामीण:** "वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास" के लक्ष्य की पूर्ति के लिए सरकार 1 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रही है। पीएमएवाई-जी के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में मार्च, 2019 तक 1 करोड़ पक्के मकानों का निर्माण किया जाना है। ग्रामीण राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण, स्थानीय स्तर पर उपयुक्त मकान डिजाइन प्रारूप विज्ञान के विकास तथा विभिन्न स्तरों पर निगरानी के लिए समर्पित संरचना से मकानों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और समय पर निर्माण कार्य संपन्न हो रहे हैं। मंत्रिमंडल ने पीएमएवाई-जी के अंतर्गत आवासविहीन 2.95 करोड़ परिवारों को ध्यान में रखते हुए पहले चरण में वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक की 3 वर्षों की अवधि में 81,975 करोड़ रु. की लागत से 1 करोड़ परिवारों के लिए मकान बनाने का आदेश दिया था। शेष 1.95 करोड़ परिवार अगले 3 वर्षों (अर्थात् वर्ष 2019-20 से 2021-22) में शामिल किए जाएंगे।